

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
शीर्षक परमान-६

प्रकरण : संख्या - 159/2017

बनाम परखण्ड मजिस्ट्रेट

| दिनांक | कार्यवाही प्रकरण |
|------------|---|
| 30.07.24 | पत्रावली पेश हुई। आवेदनवादी वारी अक्र। आवेदनवादी प्रतिवादी अक्र। सहाय्यवादी वारी गवाह पेश नहीं। 50 रु (050 प्र) अतिरिक्त अवसर दिया जाकर परखण्ड मजिस्ट्रेट 23.9.24 को पेश हो। |
| | सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द |
| | वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 02.12.24 को पेश हो। |
| 2-12-24 | वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 25-2-25 को पेश हो। |
| 25.2.25 | पत्रावली पेश हुई। आवेदनवादी अक्र। अतिरिक्त प्रति अक्र। सहाय्यवादी एवं अतिरिक्त अवसर अवकाश बन्द होने के कारण दिया जा रहा है। पत्रावली दि 03.03.25 को पेश हो। |
| 03-03-2025 | पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थिति दूर एवं यह केले दूर प्रकरण में Not Press दर्ज किया कि प्रकरण लाइव वादी हेतु नियत है एवं वादी अब उनके सम्पर्क में नहीं हैं एवं ना ही प्रकरणवादी की ओर से प्रकरण में पेश की हेतु कोई सूचना दी गई है जिससे वे वादी के अब सम्पर्क में... |

Not-Pres
Alpalmal



सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

नं. 159/2017

शीर्षक पञ्जाब-द

बनाम परखराम

कार्यवाही प्रकरण

हस्ताक्षर/
सूचना नं.

नहीं रखने के NOT-PRESS डांकित कर रहे हैं।

इसके पश्चात वादी अधिकारवाले वादी बीओर से पेंरवी करने के इन्कार कर दिया।

अतः वादी द्वारा वादी अधिकारवाले

से पेंरवी हेतु सम्पर्क नहीं रखने से एवं स्कॉट्स

भी पेंरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रकरण वादी

की अदम-हाजरी में एवं अधिकारवाले द्वारा "NOT

PRESS" डांकित कर पेंरवी के इन्कार करने

से इस प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर

समाप्त की जाकर प्रकरण खारिज किया

जाता है।

पञ्जाबी फैसल नुसार होकर नम्बर

से काम की जावे।

M